न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 99/2020 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2020/00100)

भानीराम पुत्र बागाराम जाति नायक साकिन लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मी तथाकथित पुत्री बागाराम जाति नायक साकिन वार्ड नं. 19 नोहर ।
2. सुमन पुत्री बेगराज जाति नायक साकिन लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मांगीलाल उर्फ डोगरदास पुत्र बेगराज जाति नायक साकिन लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. कालूराम पुत्र बेगराज जाति नायक साकिन लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. ओमप्रकाश पुत्र कृष्ण जाति नायक साकिन इन्द्रपुरा तहसील सादूलशहार ।
6. बनवारीलाल पुत्र कृष्ण जाति नायक साकिन इन्द्रपुरा तहसील सादूलशहार ।
7. सुनीता उर्फ चिड़िया पुत्री कृष्ण पत्नी ओमप्रकाश जाति नायक साकिन 17 के.एस.डी. नूरपुरा की ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
8. सन्तोष पत्नी कृष्ण जाति नायक साकिन लाखासर तहसील नोहर।
9. राजस्व तहसीलदार नोहर।

रेस्पोडेंट्स

10. सरवती पत्नी बागाराम जाति नायक साकिन लाखासर तहसील नोहर।
11. राजू पुत्र बागाराम जाति नायक साकिन लाखासर तहसील नोहर।
12. मीना पुत्री बागाराम जाति नायक साकिन लाखासर तहसील नोहर।
13. राजबाला पुत्री बागाराम जाति नायक साकिन लाखासर तहसील नोहर।

तरतीबी रेस्पोडेट्स

उपस्थितः
1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री हरीश मदान – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. श्री विजय भादाणी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 8
4. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांकः 31.08.2022

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ) के निर्णय दिनांक 10.02.2017 के विरूद्ध पेश हुई है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट लक्ष्मी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर में अपील प्रस्तुत कर तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा स्वीकृत नामान्तरण सं. 953 दिनांक 04.8.2016 रोही मौजा लाखासर को अपास्त करने का निवेदन किया। जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.02.2017 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर रिमाण्ड किया कि इंतकाल सं. 953 दिनांक 04.08.2016 यथावत रहेगा परन्तु वसीयत की अपील के निर्णय होने तक इंतकाल प्रभावहीन रहेगा। वसीयत की अपील का निर्णय होने के उपरांत ही निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावे। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अर्ज किया गया है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर का निर्णय दिनाक 10.02.2017 इस हद तक निरस्त फरमावे कि जो निर्णय में यह अंकित किया है कि अपील के निर्णय तक इन्तकाल प्रभावहीन रहेगा, निरस्त किया जावे।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 10 ता 13 के निमित नोटिस जारी किये गये, बावजूद उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा ग्राम लखासर के खं. 44 में 3.996 हेक्टयर एव खं. नं. 83 में 10.749 हैक्टयर कुल 14.745 हैक्टयर भूमि मृतक बागाराम के नाम खातेदारी थी। बागाराम के देहान्त के पश्चात मृतक के वारिसान के हक मे इन्तकाल सं. 953 दिनांक 04.08.2016 दर्ज हो गया। संक्षम अधिकारी द्वारा इन्तकाल दर्ज किया गया। कब्जा काश्त इन्तकाल के समय से ही अपीलान्ट व अपीलान्ट के भाई के नाम से बदस्तूर चला आ रहा है। अधीनस्थ प्रथम अपील न्यायालय ने इन्तकाल सं. 953 दिनांक 04.08.2016 को यथावत रखा तथा स्वय के आदेश का अवलोकन किए यह निर्णय में अंकित कर दिया कि इन्तकाल तो वैध है मगर रेस्पोडेन्ट द्वारा वसीयत द्वारा इन्तकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद जो चाराजोही उनके द्वारा द्वारा की गई है तब तक इन्तकाल

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

को प्रभावहीन घोषित कर दिया, जो समझ से परे है। आज तक वसीयत प्रमाणित ही नही हुई। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर, अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर का निर्णय दिनाक 10.02.2017 इस हद तक निरस्त फरमावे कि जो निर्णय में यह अंकित किया है कि अपील के निर्णय तक इन्तकाल प्रभावहीन रहेगा, निरस्त किया जाव।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अपील 3 साल बाद पेश की गई है, अपीलान्ट ने 3 साल बाद अपील प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण नही बताया है। अपीलान्ट का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र खारिज होने के बाद अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलान्ट की अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक अपने कथन के समर्थन मे 2012 (1) CIVIL COURT CASES 776 UTTARAKHAND HIGH COURT, 1995 (2) CIVIL COURT CASES 280 (2) PUNJAB & HARAYANA HIGH COURT, 2016 (1) CIVIL COURT CASES 823 BOMBAY HIGH COURT, TRANSFER OF PROPERTIY ACT SECTION 5 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या सं. 2 ता 8 के विद्वान अभिभाषक ने अपीलान्ट की बहस को ही अपनी बहस बताया।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 10.02.2017 के विरूद्व अदालतवाला में दिनांक 21.10.2020 को अपील प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को नही थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर खण्डन किया है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

होता है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थित रहा है तथा निर्णय दिनांक 10.02.2017 में अपीलान्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति अंकित है। ऐसी स्थिति में यह कथन स्वीकार योग्य नही है कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नही हो इस प्रकार अपील पूर्णतया मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है तदनुसार अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज की जाती है।

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर